**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

**महालेखा नियंत्रक कार्यालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4077**

**उत्तर मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018/चैत्र 13,1940 (शक) को दिया जाना है**

**“पीएफएमएस का बहिर्वर्तन”**

4077. श्री एन. गोकुलकृष्णनः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भविष्य निधि खाताधारकों के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) सरकारी कारबार में निर्णायक सिद्ध हुआ है और दिसंबर, 2018 तक सभी माड्यूलों का बहिर्वर्तन (रॉल आउट) कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री (वित्त)**

**(श्री पी.राधाकृष्णन)**

1. और (ख)

जी, हाँ।

महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने ऑनलाइन केन्द्रीकृत जीपीएफ मॉड्यूल आरंभ किया है जिसे मौजूदा पीएफएमएस प्लेटफार्म पर विकसित किया गया है। यह मॉड्यूल सरकारी कर्मचारियों की कर्मचारी सूचना प्रणाली में सृजित विशिष्ट कर्मचारी आईडी के जरिए उनके विविध जीपीएफ खातों को तैयार करने में मदद करता है। इससे कर्मचारी जीपीएफ में अपनी संचित धनराशि को देख सकते हैं और अग्रिम/ आहरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इससे जीपीएफ बकाया राशियों के अंतरण की कार्रवाई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुशलतापूर्वक की जा सकती है।

(ग) और (घ)

इस समय पीएफएमएस के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल निम्नलिखित हैं :-

(i) केन्द्रीय क्षेत्र/ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा डीबीटी

(ii) पीएफएमएस का भुगतान तथा लेखा मॉड्यूल

अनुमोदन के अनुसार पीएफएमएस योजना को मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है।

-------